

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION, JAIPUR
Projects by Law Students



Under the guidance of

Chairperson ,
Justice N.K. Jain

(Former Chief Justice
High Court of Madras & Karnataka)

With best Compliments
RSHRC

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION



Under the guidance of
Hon'ble Mr. Justice
N.K. Jain.

(Former Chief justice of
Madras and Karnataka
High Court)
Chairperson, RSHRC



Prepared by:-

Aditya Vikram Singh
BBA LL.B (H)

II nd year

NATIONAL LAW
UNIVERSITY, ORISSA



HUMAN RIGHTS COMMISSION

- **Human Rights Commission is an autonomous body to protect and promote basic rights of citizens. Its primary aim is to help every deprived person to acquire equal status in society.**
- **By the Parliamentary act there is National Human Rights Commission at New Delhi and each state has State Human Rights Commission. This commission has power equivalent to a civil court. It has equivalent power to hear the plea of sufferer and give recommendation to concerned department to work on it. Its recommendation has a high stake and non performance on its recommendation can lead to questioning in the Legislative Assembly. Otherwise the government has to give reason for not compliance. The commission or the other party can file writ petition in the High Court.**

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

- The State Government of Rajasthan issued a Notification on January 18, 1999 for the constitution of the State Commission having one full time Chairperson and 4 Members in accordance with the provisions of The Protection of Human Rights Act, 1993. The Commission was fully constituted by appointment of the Chairperson along with the Members and became functional from March 2000. The main mandate of the State Commission is to function as a watch dog for human rights in the State. Under the 1993 Act, human rights are defined in Section 2 (d) and are those justiciable rights which can be enforced in a court of law in India.
- The Rajasthan State Human Rights Commission is reconstituted on 6th July 2005. One of the leading State Commissions in the country. In a short span of about four years it has achieved many milestones in its mission for the protection and promotion of Human Rights.

PRIMARY CATEGORIES OF HUMAN RIGHTS

- Civil Rights
- Political Rights
- Economic Rights
- Social Rights
- Cultural Rights

Hon'ble Chairperson and
Members Of Rajasthan State
Human Rights Commission
are :

From 06-07-2005

Justice N K Jain,
Chairperson

Members

Justice Jagat Singh

Shri D.S.Meena

Shri Pukhraj Seervi

6



Hon'ble Chief Minister Shri Ashok Gehlot





DRUG ABUSE



WHAT IS ADDICTION

- Unhealthy, continued involvement with a mood-altering substance or activity in spite of harmful consequences.
- It Creates a Physical Dependency.
- **Addiction is a DISEASE** and **a Progressive DISEASE**.
- **It Affects** Physically, Mentally, Socially **and** Spiritually.
- **It is not CURABLE**, but can be arrested.



ALSO AFFECTS

- Schooling
- Financial Matters
- Relationships
- Community

Four Characteristics of Addiction

- Compulsion to use the substance
- Loss of control over use
- Negative Consequences from use
- Denial




Compulsion to use the substance

- ENJOYING THE HIGH
- IMPULSIVE & COMPULSIVE BEHAVIOR
- PEER PRESSURE
- IGNORANCE (I Can quit any time)



Loss of control over use

- PROGRESSION OF DISEASE
- ADDICTIVE PERSONALITY
- AIMING FOR THE HIGH
- Craving/WANT THE NEXT DOSE
- GUILT/SELF PITY
- FEAR OF WITHDRAWALS




Negative Consequences from use

- DROP OUTS
- SWITCHING DRUGS/Multiple Addiction
- WASTING OF PRODUCTIVE YEARS
- TURNING TO ANTI SOCIAL ACTIVITIES
- REHABILITATION CENTRES (Long Term)
- JAIL/JUVENILE DELIQUENCY
- OVER DOSE
- SUCIDE ATTEMPTS
- DEATH



Denial-

- A common symptom of addiction and substance abuse is denying that a problem exists.
- “I am not a Addict”
- “I don't have a problem, you have the problem.”



What are Warning Signs of Problem Drug Use?



- Decline in grades
- More absences because of "not feeling good"
- Deteriorating relationships
- Unusual Behavior
- Talking with Head bent Down
- Lack of Interest
- Poor Self Esteem
- Poor Self Hygiene


YOUTHS GET ADDICTED TO

- TOBBACCO, PAN MASALA
- LIQUOR (Beer, Whisky, Brandy, Rum, etc)
- CANABIS (Ganja)
- BROWN SUGAR (Heroin)
- INJECTING DRUGS
- PHARMACEUTICAL DRUGS (Tablets)
- PETROL, WHITENERS, ADHESIVES



FACTORS FOR ADDICTION

- Inheritance
- For Pleasure
- Experimentation
- Peer Pressure
- Eagerness, Enthusiasm
- Thrill, High
- Infatuation & Love Failures



CONSEQUENCES

- POVERTY
- UNEMPLOYMENT
- DEBTS
- FAMILIES BREAKING UP
- CRIME
- OVER DOSE
- DEATH



SHARING OF NEEDLES & SYRINGES LEADS TO

- HCV(Jaundice)-90%
- HIV/AIDS-24.2%

IDENTIFICATION OF ABUSERS IN SCHOOL & COLLEGES

- Lack of Personal Hygiene (Unkept)
- Low Grades
- Absenteeism
- Highly Irritable / Moody
- No Eye Contact during Conversation
- Low Concentration
- Lack of Interest in Extra Curricular Activities
- Valuable Things Missing
- Speaking Lies, Good at Excuses



Identifying Students Abusing ALCOHOL

- Always chewing Mouth Fresheners
- Escapism
- Eyes Dilated
- Drowsy
- Tremors
- Highly Irritable
- Prone to fits of Violence
- Slurring Speech




Identifying Students Abusing GANJA

- Laughing for Silly Things
- Eating a lot of Sweets
- Always Hungry
- Drowsy looks
- Imagining Things
- Cowardly Behavior
- Cigarettes & Match Box in Pocket



Identifying Students Abusing Drugs with Syringes

- Drowsy looks
- Dozing Always
- Shabby looks
- Blood stains on clothes
- Needle Marks
- Slurring Speech
- High level of Absenteeism
- Self Centered, Possessive
- Syringes in Socks
- Highly Irritated



Identifying Students Abusing Tablets

- Drowsy looks
- Dozing Always
- Slurring Speech
- Blisters in Pockets
- Very Emotional
- Prone to Blame themselves for all things



NDPS Act, 1985

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS Act) is the anti-drug law of India.

This Act prohibits: Cultivation of opium , cannabis and coca Plants -Production, manufacture, possession, sale, purchase, transport, warehousing, use, consumption, import, export or transshipment of any narcotic drug or psychotropic substance except for medical and scientific purposes and as per the rules or orders and conditions of licen



NDPS Act empowers central government to frame rules for certain purposes and state governments to frame rules for certain others. Thus, there are NDPS Rules, 1985 of the central government and state NDPS Rules of different states. Violation of any rule of either the state or central NDPS Rules attracts punishment under the NDPS Act.


OFFENCES AND PENALTIES - as per the NDPS ACT, 1985

OFFENCE

PENALTY

SECTIONS

- Preparation to commit an offence
30
Half the punishment for the offence
- Repeat offence
31
One and half times the punishment for the offence. Death penalty in some cases.
- Death 31-A
- Consumption of drugs
27
Cocaine, morphine, heroin - R.I. up to 1 year or fine up to Rs. 20,000 or both
Immunity-64A
Other drugs- Imprisonment up to 6 months or fine up to Rs. 10,000 or both
Addicts volunteering for treatment enjoy immunity



- Punishment for violations
Imprisonment up to six months or fine or both

DON'T

- Preach or Lecture


They wont Listen

- Scold or met out Punishments

It will aggravate the problem, they will rebel

- Advice

It is a waste of time



DO's

- **Counsell on Ill effects**

They will Listen.

- **Refer to Professional Services**

They are willing to Change & Give up.

- **Don't Give up**

It will work.



TREATMENT

“where there is a will, there is a way.”

- Admit that a problem exists
- Detoxification
- Intensive Dependency Treatment
- Rehabilitation
- After Care
- Nutrition and Exercise
- Prolonged Counselling



ABSTINENCE IS THE ONLY WAY OUT



LET'S FIGHT ADDICTION LET'S GIVE THE CHILDREN A GOOD FUTURE



Legal Awareness Programmes

- For the awareness of the human rights in public at large, Justice Jain has wrote about 31 booklets of various legal issues. Out of these booklets 18 booklets have been published by the R.S.H.R.C. Many other organizations, District Legal Aid Authorities, Departments, Schools, Colleges etc. has also published some booklets like Women, Children, Dalits, Arrest, HIV/AIDS, Human Rights etc. by the permission of the Commission. They have distributed these booklets in 80000 in numbers.
- Some of these booklets are available on Commission's website www.rshrc.nic.in and justicenagendrakjain.com. English translation of Some booklets are also available on a German website herenow4u.de.
- These books are:

31 booklet have been written by Justice Nagendra Jain (Chairperson RSHRC, Jaipur) on different legal and important issues



- BOOKS**
- माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, (पूर्व न्यायाधिपति मद्रा एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय)ने विविध विषयों पर लेख/लघु पुस्तिकाएँ आदि लिखी हैं। जिनका प्रकाशन भी किया गया है। इन लेखों/लघु पुस्तिकाओं में से कुछ निम्न है:—
1. सन्थारा/सल्लेखना (हिन्दी व अंग्रेजी में) www.herenow4u.de (Eng.)
 2. भारतीय संस्कृति में अहिंसा व मानव अधिकार (हिन्दी व अंग्रेजी में)
 3. अणुव्रत व मानवाधिकार
 4. खेल, खिलाड़ी व खेल भावना
 5. बालकों के अधिकार। (पुनः प्रकाशित)
 6. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर। (पुनः प्रकाशित)
 7. एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार। (पुनः प्रकाशित)
 8. मानवाधिकार और जैन धर्म। (हिन्दी व अंग्रेजी में)
 9. आयोग की कार्यविधि, शक्तियाँ एवं परिवारों की निरस्तारण प्रक्रिया।
 10. आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
 11. भारतीय संविधान की अनुच्छेद-21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
 12. महिलाओं के अधिकार- संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी। (पुनः प्रकाशित, पुनः प्रकाशित 2008)
 13. दलितों के अधिकार। (पुनः प्रकाशित)
 14. मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
 15. गिरफ्तारी (ARREST) (पुनः प्रकाशित)
 16. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
 17. जेल, कारावास से संबंधित प्रावधान व गतिविधियाँ।
 18. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ 2007
 19. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ (पुनः प्रकाशित-2008)
 20. Judicial Values & Ethics for Judicial Officers. www.rshrc.nic.in
 21. Advantage to Litigant Public by Brihat Lok Adalat.
 22. Alternative Dispute Resolution, Conciliation & Mediation (ADR).
 23. Institutional Arbitration Intellectual & Information Technology (IPR & IT).
 24. Cyber Law.
 25. Copy-right Law.
 26. e-governance and Court Automation.
 27. Article-14 Right to Equality.
 28. Gender Justice in Employment & in Profession, Empowerment of Women.
 29. Law of Precedent, Reference to Art. 141.
 30. Directive Principal of State Policies.
 31. Public Interest Litigations & others.

BOOKS PUBLISHED

- These books are kept in the Libraries of different schools and colleges for awareness of students as well as the teaching and ministerial staff. Some books are even kept in the UN-Congress Library at New Delhi.
- Teachers of various school are interacting with the students on these issues in zero hours.
- About legal aid committees, NGO's / Educational Institutions above 55, and some Newspapers have re-printed/Published these booklets as intimated and about 80,000 booklets titled on women, child rights, dalits, arrest, human rights and HIV have been published and distributed free of cost among the general public to create awareness.

Fundamental Duties Art 51-A

- The Commission under the guidance of the Hon'ble Chairperson is making the common people aware about the duties mentioned in Art. 51(A) of the Constitution.
- Justice N.K Jain has made the Performa of these duties and distributed. So many institutions have reprinted and distributed in public to create awareness as many people are not aware of their duties.
- He is motivating students of various schools, colleges and other institutions. Students of these institutions are reciting the oath of article 51(A) of Constitution of India under the guidance of R.S.H.R.C.

Reciting the Pledge — fundamental duties mentioned in Article 51-A, Constitution of India

"We are proud to be Indian"

It shall be the duty of every citizen of India:

- (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
- (b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;
- (c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
- (d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
- (e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- (f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
- (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures;
- (h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
- (i) to safeguard public property and to abjure violence;
- (j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

"BE AWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION ."

Chairperson : Justice N.K. Jain (Former Chief Justice - Madras and Karnataka High Court)

**For Legal awareness and in Public Interest published by :
Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur**

website : rshrc.nic.in, herenow4u.de <http://justicenagendrakjain.com>

Courtesy : Rajasthan State Co-operative Press Ltd., Jaipur
Phone : 0141-2751417, 2751352

आर्टिकल-51ए में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता (कलैण्डर्स, पेम्पलेट्स, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशन के माध्यम से)

प्रायः यह देखा गया है कि आज हर व्यक्ति अपने अधिकारों की ही बात कर रहा है। परन्तु हम अपने कर्तव्यों के प्रति कम सजग हैं। इसलिए लोगों में मानवीय अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जस्टिस एन.के.जेन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-51-ए में वर्णित मुख्य कर्तव्यों की मंशा के अनुरूप का एक प्रारूप तैयार करवा कर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं/ विभागों/संस्थाओं को भेजकर एक नई मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत करीब 100 स्कूल/संस्थाओं में सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प को दोहराया जा रहा है, जो प्रशंसनीय है। इसके अलावा अन्य कई संस्थाओं में भी संकल्प की यह प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय का मानना है कि इस संकल्प से व्यक्तियों में अच्छे संस्कारों के साथ-साथ मानवीय मूल्य एवं नैतिकता को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की पालना में भी काफी हद तक जागरूकता पैदा होगी।

1. श्री कालीचरण सराफ, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री,
2. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग,
3. श्री पी.डी. सिंह, डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,
4. मैडम उर्मिल वर्मा, प्रिंसिपल, महावीर पब्लिक स्कूल
5. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सम्बद्ध (Affiliated) कॉलेज
6. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग,
7. अति० निदेशक (शैक्षिक) प्रारम्भिक शिक्षा, राज० बीकानेर
8. मैडम प्रिया मिश्रा शेखावत, डायरेक्टर, सैन्ट्रल एकेडमी
9. श्री गोस्वामी जी व श्रीचन्द्र साहू-भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड जेल)
10. मैडम प्रेरणा अरोड़ा, 'पहल' पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर (सडक सुरक्षा हेतु एन.जी.ओ.)
11. परम भागवत शिक्षा एवं सामाजिक विकास संस्थान, (NIFESM) जयपुर।
12. प्रयास, सेन्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग
13. श्री दिगम्बर जैन नसियां उदयलाल जी ट्रस्ट, जयपुर
14. वर्ल्ड विजन इण्डिया, जयपुर
15. हैडकॉन
16. जैन अनुशीलन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय
17. नवमंगल शिक्षा समिति, जयपुर
18. जयपुर चाईल्ड लाईन- डायल 1098
19. भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड जेल)
20. विद्या ट्रस्ट, जयपुर
21. जे.पी.जे. फायनेंसियल सर्विसेज, राजापार्क, जयपुर
22. पहल, पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर
23. डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जयपुर
24. प्रिंसिपल डी.ए.वी. सेन्टेनरी स्कूल, वैशाली नगर, जयपुर
25. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई स्कूल एलुमिनी एसोसियेशन, जयपुर

26. जयपुर बाल श्रमिक परियोजना संस्था, जयपुर
27. प्रिंसिपल सैन्ट्रल एकेडमी, महावीर नगर, जयपुर
28. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर
29. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द
30. भारतीय यूनेस्को क्लब महासंघ, राजस्थान, भीलवाडा
31. प्रेसिडेंट, लायन्स क्लब, जयपुर (District 323 E -1 Club No. 026309)
32. भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जयपुर
33. मोदी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साईंस, लक्ष्मणगढ
34. प्रिंसिपल अग्रवाल बी.एड. कॉलेज, जयपुर
35. निदेशक, बियानी गर्ल्स कॉलेज, विद्याधर नगर, जयपुर
36. प्रिंसिपल. एस.वी.एम. पब्लिक स्कूल, अम्बावाडी, जयपुर
37. प्रिंसिपल, सुबोध पब्लिक स्कूल, जयपुर
38. जैसवाल कुटीर उद्योग, डी-2, रमन मार्ग, जयपुर-4
39. सुरभि एक्सपोर्ट, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, गुरुनानकपुरा, जयपुर
40. राजस्थान पेंशनर समाज/जिला पेंशनर्स समाज, जयपुर
41. K.M.G. College of B.Ed.
42. K.M.G. Teachers Training Institute
43. K.M.G. College of Arts and Science
44. Thiruvallur Elementary and Higher Secondary School, Vellore
45. लोकशिक्षक पत्रिका में प्रकाशन
46. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर द्वारा प्रकाशित 'मृत्युंजय' में प्रकाशन
47. राजस्थान पेंशनर्स समाज द्वारा पेंशनर्स पत्रिका में प्रकाशन
48. प्रेसिडेन्ट लायन्स क्लब (District 323 E--1 Club No. 026309) व जैना प्रिंटर्स, जयपुर
49. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर
50. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी मुम्बई, राजस्थान अंचल
51. विद्यास्थली ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, जयपुर
52. रेडिमेड सेन्टर, जौहरी बाजार, जयपुर
53. Cosmic Yoga Combine, Kanti Nagar, Station Road, Jaipur
54. Jaipur Diabetics & Research Centre, Near Ridhi-Sidhi, Gopalpura Bypass, Jaipur
55. विनायक फार्मा, डी-74 धीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
56. श्रीमती ललिता देवी, रामचन्द्र कासलीवाल ट्रस्ट, जयपुर
57. जयपुर जिला बैडमिन्टन एसोसियेशन, जयपुर
58. राजस्थान पॉलिटेक्निक कॉलेज, रतनगढ (चुरू) व सम्बल सेवा संस्थान, जयपुर।
59. Dr. B.Lal Clinical Laborty, Jaipur.
60. वैशाली हितकारी संगठन नागरिक हितों का सजग प्रहरी, जयपुर
61. राजधानी होटल, जयपुर।
62. हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग, श्री देश दीपक



आयोग की इस मुहिम को पूर्व वर्षों में उक्त 62 संस्थाओं द्वारा जनजागरुकता एवं संरक्षण कार्यक्रम में अपने आपको जोड़ते हुए मुहिम को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में वर्ष 2009-2010 में भी बहुत सी संस्थाओं द्वारा आयोग के जन जान-जागरुकता के कार्यक्रम को बढ़तो हुये सूचित किया गया है। जिनमें से कुछ निम्नांकित है :-

63. जयपुर थियोसोफिकल लॉज, जयपुर
64. महेश्वरी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, जयपुर
65. कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर
66. Zunitech Consulting Pvt. Ltd. Banglore/ Delhi
67. राजधानी हास्पिटल, जयपुर
68. श्रीमती ललिता देवी रामचन्द्र कासलीवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर
69. धामू एण्ड कम्पनी, जयपुर
70. विमुक्ति संस्थान, जयपुर
71. भारतीय दिगम्बर तीर्थ क्षेत्र कमेटी, मुम्बई
72. श्री देश दीपक, सचिव लोकायुक्त सचिवालय, हिमाचल प्रदेश
73. जयपुर नगर निगम
74. अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा पत्रिका, मथुरा
75. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, सी.पी. टैंक, मुम्बई ।
76. राजस्थान जैन सभा, जौहरी बाजार, जयपुर ।
77. हैल्प एज [इण्डिया] जवाहर नगर, जयपुर [हिन्दी/अंग्रेजी]
78. सम्बल सेवा संस्थान, रतनगढ़ चुरु ।
79. स्व0 श्री गणेशमल बैद राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, रतनगढ़।
80. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन [धर्म संरक्षिणी] महासभा, नई दिल्ली ।
81. कमिश्नर मुख्यालय, नगर निगम, जयपुर ।
82. यातायात पुलिस, जयपुर
83. विंग ऑफ रिसर्च इन लोकल डेवलपमेन्ट *WORLD* जयपुर
84. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई सैकडरी स्कूल एलुमनी एसोसियेशन, जयपुर (हिन्दी/ अंग्रेजी)
85. M.D. Group of Education, Sikandara, Agra (English/Hindi)
86. गीता बजाज महाविद्यालय, जयपुर
87. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, राजस्थान अंचल, जयपुर
88. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
89. The Little Pixies School, Vidyut Nagar, Jaipur
90. दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान, जयपुर
91. लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान
92. देश और व्यापार बीकानेर से प्रकाशित मासिक पत्रिका
93. निदेशक, राजस्थान पुलिस एकेडमी, नेहरू नगर, जयपुर
94. दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीर जी, करौली
95. Children's Educational Society, Bhilwara
96. माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सेदन, बड़ोरा (भरतपुर)
97. विद्या ट्रस्ट, 19, कीर्ति नगर, श्याम नगर, जयपुर (पुनःप्रकाशित)
98. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर (पुनःप्रकाशित)

93. राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित स्मारिका— 2010
94. समाचार जगत— समाचार पत्र में प्रकाशित
95. रौनक टाईम्स' समाचार पत्र में प्रकाशित
96. 'दैनिक नवज्योति' समाचार पत्र में प्रकाशित
97. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स के 'राजस्थान चैम्बर संदेश' (अंक— अप्रैल—2010)
98. स्व0 गेंदीलाल शाह, एडवोकेट की स्मृति में लॉयन कैलाशचंद व अजय शाह द्वारा
99. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन कमेटी, मुम्बई अंचल कार्यालय— जयपुर के अध्यक्ष अशोक नेता
100. सेंट पॉल्स इंगलिश स्कूल, भदादा बाग, भीलवाडा
101. राजस्थान किडनी केयर व किडनी पेशेन्ट एसोसियेशन, जयपुर
102. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर
103. इण्डियन अस्थमा केयर सोसायटी, जयपुर
104. हैल्प एज द्वारा *World Elder Abuse Awareness Day* पर
105. International Summer School of Jain Studies, New Delhi

Students reciting the oath of section 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.



- In addition to that in legal literacy and awareness program, chairman motivated students and even general public to recite the pledge as mentioned in article 51(A) of Constitution of India. It is good sign that so many schools have started taking prayer as per instructions of different concerned authorities as per the request of the commission. Some of them are as follows:-



बियानी गर्ल्स कॉलेज विद्याधर नगर, जयपुर में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर छात्राओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51ए का संकल्प दिलाते कॉलेज के वाइज प्रिंसीपल पी.सी. जांगिड ।



Students of some institutions reciting the Oath as per Article 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.



Students reciting the pledge.

छात्रों को पिलाई जाएगी मूल कर्तव्यों की घुट्टी

मानवाधिकार आयोग की पहल
पर शिक्षा विभाग से आदेश जारी
जयपुर, 19 जुलाई (का.सं.)

संस्कृत शिक्षा के निदेशकों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार की शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को संविधान के अनुच्छेद 51-ए में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की पालना का संकल्प दिलावाएं।

क्या हैं मूल कर्तव्य

संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं—
 » संविधान और उसके आदर्श, राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का आदर करें » राष्ट्र भावना के लिए प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें
 » भारत की प्रभुता, एकता-अखंडता, सार्वजनिक सम्पत्ति, वन, झील, नदी व वन्य जीवों की रक्षा करें » स्त्री सम्मान विरोधी प्रथाओं का त्याग करें » हिंसा से दूर रहकर प्राणियों के प्रति दयाभाव रखें » वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास करें » सभी नागरिकों में समरसता व घ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।

छात्र जीवन से ही नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों की पालना की घुट्टी पिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को संवैधानिक कर्तव्यों के पालन का संकल्प दिलवाने का आदेश दिया है।

राज्य मानवाधिकार आयोग ने नागरिकों को मूल कर्तव्यों की पालना का संकल्प दिलाने के लिए एक प्रारूप तैयार किया है, जिसकी प्रतियां आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों, अधिकारियों तथा कई दर्जन स्कूलों में भिजवाई गई हैं। शिक्षा विभाग ने आयोग के सुझाव पर माध्यमिक, प्राथमिक और

बंदियों ने लिया मानव अधिकार रक्षा का व्रत

भरतपुर: भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान नई दिल्ली द्वारा निकाली जा रही गीता संदेश यात्रा सोमवार को भरतपुर स्थित सेवर कारागार पहुंची। संस्थान द्वारा कारागार में बंदियों को मानव अधिकार रक्षा का संकल्प कराया गया।

कारागार में पहुंची गीता संदेश यात्रा के उपरान्त एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी, सचिव श्रीचंद साहू, भरतपुर के अधिवक्ता सरदार महेन्द्र सिंह मग्गो, उमेश शर्मा, जेलर श्रीराम शर्मा द्वारा कैदियों को चरित्र निर्माण सहित गीता के उपदेशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

इस अवसर पर कैदी भगवान सिंह, कांता प्रसाद शर्मा, तेजवीर गुर्जर, मुख्त्यार सिंह, मानवीर, सीताराम सहित अन्य बंदियों द्वारा संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी से परमात्मा, आत्मा, जन्म, मृत्यु, कर्म के संबंध में प्रश्न पूछे गये। इस दौरान जेल परिसर में गिराज महाराज की जय व श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी बोल गूंजते रहे। 41

अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य भी निभाएं

अ

नरुहोय मानव अधिकार दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। जहाँ तक मानवाधिकार संरक्षण की बात है, यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य को विश्व मानवाधिकार दिवस तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, परन्तु इसे मनाने के लिए लोगों में अभी-भी उतनी जागरूकता पैदा नहीं हुई है। इस कार्यक्रम में सिर्फ संप्रदात वर्ग का ही जुड़ना काफी नहीं बल्कि हर युवा से लेकर स्कूली छात्रों एवं गाँव ढाणों की आम जनता तक को इससे जोड़ना होगा जिससे आगे चलकर वह दूसरों को भी मानव अधिकारों के प्रति सचेत कर सके। इसी प्रयास को अंजाम देने के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 (एक्ट नं. 10 ऑफ 19994) को धारा 21 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान राज्य में 18 जनवरी 1999 में आयोग का गठन हुआ तथा मार्च 2000 में अस्था एवं सदस्यों की नियुक्ति हुई और फिर दिनांक 6.7.2005 को पुनर्गठन हुआ। 16 जुलाई 2005 से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के तारे मेरी यही कोशिश रही है कि हर मामले में सच समझकर निर्णय लिया जाए, जिससे पीड़ित के अधिकारों का हनन रोका जा सके। जागरूकता सिर्फ मानव अधिकार क्या है, यह समझने से नहीं आएगी। उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को भी समझना होगा। हर वर्ग खासतौर पर पीड़ित, दलित उत्पीड़ित, कमजोर वर्ग, बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी और हमें अत्यधिक जागरूकता के साथ-साथ संवेदनशील भी बनना होगा, ताकि जिससे यदि सड़क पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो, तो हम वहाँ रुक कर उसको मदद करें ना कि सीधे आगे चले जाएँ और बहाना बनाए कि कानूनी प्रक्रिया का झंझट है व समय नहीं है। यदि मानवता के लिए ही किसी के पास समय नहीं है तो फिर क्या खुद मानव बने रहने का उर्ध्व अधिकार होना चाहिए, यह तो आपको स्वयं को ही तय करना है। जहाँ तक मानवाधिकार आयोग की बात है, शिकायतों के अलावा अखबारों में आने वाले मामलों पर भी आयोग प्रसन्न होना है साथ ही यह सभी मानवहित के लिए कार्यरत निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों की रक्षा के साथ सामाजिक दुराच्यों व कुरीतियों को सकारात्मक सौच देने का प्रयास भी कर रहा है। मानव अधिकार आयोग किसी पुलिस, कोर्ट या व्यक्ति खास के दायरे में नहीं सिमटा हुआ है, वहाँ जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मामले में वस्तुस्थिति मांगकर व सुनकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज आजादी के 60 सालों बाद भी हमें मानवाधिकारों की बात लोगों को तब समझानी पड़ रही है, जबकि देश पूरी तरह से

स्वतंत्र हो चुका है परन्तु आज भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथ सामाजिक कुरीतियाँ, अन्धविश्वास प्रचलित हैं। यह एक जटिल समस्या है इसके अलावा कुल लोगों के द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हमें आज भी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह आयोग जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से आमनागरिकों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी देने का भरपूर प्रयास कर रहा है कुछ निस्वार्थ व सेवाभावी संस्थाएँ भी इस जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग दे रहा है। जिसके फलस्वरूप एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा व अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर आमनव अधिकारों के संरक्षण के साथ उनके हनन को रोकने में भी मदद मिल रही है। यह सहयोग जितना अधिक मिलेगा, प्रदेश की जनता के मानव अधिकारों के लिए उतना ही अच्छा होगा। प्रायः यह भी देखने में आता है कि बड़ी बड़ी बातों की चर्चा तो हर कोई करता है परन्तु छोटी छोटी बातें, जो जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए आज ईसान हर कार्य को दूसरों से ही अपेक्षा करता है यह स्थिति ठीक नहीं कहाँ जा सकती। आयोग ने मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता व अधिकारों के संरक्षण के लिए लोक सेवकों एवं जनसाधारण में संवेदनशीलता से काम करने को बढावा दिया है। आयोग द्वारा दिनांक 6.7.2005 से 30.11.2007 तक 10110 प्राप्त परिवादों में से 9418 परिवादों का नरिस्तारण कर दिया गया है तथा 1046 परिवाद दिनांक 30.11.2007 को विचाराधीन हैं। मेरा यह भी मानना है कि केवल कानून बनने या उपदेश देने से मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं होगा, इसके लिए बने हुए कानून को अमल में लाना व स्वयं को कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना होगा व पारस्परिक हित की बात सोचनी होगी। मानव अधिकार जो सबके लिए हैं, कंगजी ना होकर सभी को मिलकर क्रियान्वित करना होगा। हाँ, आयोग मदद जरूर कर सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग सिर्फ सामान्य जनता को ही नहीं बल्कि अवेयरनेस व लीगल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जिम्मेदारी निभाने की बात करने वाले लोक सेवकों को भी समझाते हैं। अब जब राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़े गया है, उसी के साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता भी बढ़ी है। ऐसे में कर्तव्यों के प्रति भी हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। अन्त में विश्व मानवाधिकार दिवस पर मेरी लोगों से यही अपेक्षा है कि मानव अधिकारों का संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार तो किसी का कर्तव्य है, दोनों को पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी तथा आयोग अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक सफल हो पाएगा और हमारा देश फिर पहले जैसे सोने की चिड़िया कहलाएगा।

अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस



का संरक्षण नहीं होगा, इसके लिए बने हुए कानून को अमल में लाना व स्वयं को कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना होगा व पारस्परिक हित की बात सोचनी होगी। मानव अधिकार जो सबके लिए हैं, कंगजी ना होकर सभी को मिलकर क्रियान्वित करना होगा। हाँ, आयोग मदद जरूर कर सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग सिर्फ सामान्य जनता को ही नहीं बल्कि अवेयरनेस व लीगल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जिम्मेदारी निभाने की बात करने वाले लोक सेवकों को भी समझाते हैं। अब जब राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़े गया है, उसी के साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता भी बढ़ी है। ऐसे में कर्तव्यों के प्रति भी हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। अन्त में विश्व मानवाधिकार दिवस पर मेरी लोगों से यही अपेक्षा है कि मानव अधिकारों का संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार तो किसी का कर्तव्य है, दोनों को पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी तथा आयोग अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक सफल हो पाएगा और हमारा देश फिर पहले जैसे सोने की चिड़िया कहलाएगा।

जागरूकता की जरूरत

बाल उम्र में ही मानवीय संवेदनाओं को समझाकर अधिकारों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। मानवाधिकार को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की पेशकश की कई स्कूलों ने माना है लेकिन अभी इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। तभी इसको फलीभूत किया जा सकेगा।

अजमेर रिपोट
अजमेर, 18 सितम्बर

विद्यालयों में मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने के लिए एनजीओ को सरकार के साथ की जरूरत है। दोनों के सहयोग से ही इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है।

यह कहना है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन के चेयरमैन एन.के.जैन का। जैन गुरुवार को सोफिया कॉलेज में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन स्कूल ऑफ राजस्थान की स्टेट एडवाइजरी कमेटी की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मुद्रें व सोफिया कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में

आयोजित कार्यक्रम की बैठक में रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस.एन.भार्गव ने कहा कि मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभी बहुत कार्य करने की जरूरत है। सभी स्टेट्स में राइट्स के प्रति लोगों की अवेयरनेस नहीं है। भार्गव मणिपुर व असम के मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। कार्यक्रम में आर.के. सक्सेना रिटायर्ड आई जी. व कॉमनवैलथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा कि जेल में कैदियों के साथ मानवाधिकार किस प्रकार उल्लंघन होता है। इसका उन्हें काफी एक्सपीरियंस है।

वह इसको खत्म करने के लिए बच्चों को ही इसका पाठ पढ़ाने के हक में है। बैठक में पी.एल. निमरोद सेन्टर फॉर दलित राइट्स जयपुर, सिस्टर कैरल, पुलिस यातना की रोकथाम कार्यकर्ता का कहना है कि मानव अधिकारों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है। ग्रास रूट के लिए नुकड व पपेट शो बेहतरीन ऑप्शन हैं। सोफिया की व्याख्याता सिस्टर मैरियोला, लॉरेन्स एंड मेयो के प्राचार्य संजय दत्ता, श्रमजीवी कॉलेज के प्राचार्य अनंत भटनागर, एडवोकेट किशन गुर्जर, आर.पी.जैन, जयपुर की दीपा जैन सोफिया कॉलेज की व्याख्याता संस्था रैना, संगीता सामंत, नलिनी बहुगुणा, ज्योति चंदेल, मीडिया की मधुलिका सिंह, दीपक आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में सोफिया कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर सरिना ने आगन्तुकों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की स्टेट कॉर्डिनेटर ने प्रोग्राम की कमान संभाली।



सोफिया कॉलेज में आयोजित बैठक में भाग लेते अतिथि।

जस्ट अजमेर

अधिकारों के साथ कर्तव्य भी निभाएं

जागरूकता मानवाधिकार क्या है, यह समझने से ही नहीं आएगी, उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को समझना होगा।

मानवाधिकार संरक्षण तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए भी जागरूक हो। हर वर्ष दस दिसंबर को 'विश्व मानवाधिकार दिवस' तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन इसकी जागरूकता के लिए हर युवा से लेकर स्कूली छात्रों एवं गांव-ढाणी की आम जनता को भी इससे जोड़ना होगा। जिससे आगे चलकर वह अन्य लोगों को भी मानवाधिकारों के प्रति सचेत रख सकें। इसी प्रयास को अंजाम देने के लिए 'दा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993' (एक्ट नं. 10 ऑफ 1994) की धारा 21 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान राज्य में 18 जनवरी 1998 में आयोग का गठन हुआ।

जागरूकता सिर्फ मानवाधिकार क्या है, यह समझने से ही नहीं आएगी, उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को समझना होगा। समर्थ लोग अपने अधिकार व मानवाधिकारों के इनन को रोकने में सक्षम हैं, परंतु हर वर्ग खासतौर पर मीडिया, दलित, उत्पीड़ित, कमजोर वर्ग, बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी और हमें अत्यधिक जागरूकता के साथ-साथ संवेदनशील भी बनना होगा, ताकि यदि सड़क पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो, तो हम वहीं रुककर उसकी मदद करें न कि सीधे आगे चले जाएं। जहां तक मानवाधिकार आयोग की बात है, शिकायतों के अलावा अखबारों के आने वाले मामलों पर भी आयोग प्रसंज्ञान लेता है। साथ ही यह सभी मानवहित के लिए कार्यरत निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों को सकारात्मक सोच देने का प्रयास भी कर रहा है। मानवाधिकार आयोग किसी पुलिस, कोर्ट या व्यक्ति विशेष के दायरे में सिमटा हुआ नहीं है, यहां जिस व्यक्ति के अधिकारों का इनन हो रहा है, उसके मामले में वस्तुस्थिति मांगकर व सुनकर दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। जिन आदेशों की पालना नहीं हुई उनके बारे में सरकार को विधानसभा में कारण बताने होते हैं।

- न्यायमूर्ति एन.के. जैन

Human Rights and duties

Protection of Human Rights of all is possible only when everybody has a sense of duty towards this. "We celebrate the International Human Rights Day on December 10 every year, but it is a pity that even today not many know about the day's importance," State Human Rights Commission chairman Justice NK Jain said.

Speaking to HT Jaipur Live, he said that not only the elite section, but people from urban and rural areas including youth, need to be involved in the awareness drive, so that a larger section of the society could be benefited, he said.

Awareness does not come merely by understanding human rights. For this, "we need to understand the meaning of dignity of life. We have to be alert for protecting all sections of the society, the poor, Dalits, women, children and the deprived. Along with awareness we need to be sensitive.

The Human Rights Commission is concerned on all such issues. Apart from grievances addressed to the office, the Commission takes cognizance on the matters being reported in newspapers. It is not confined to any police, court or an individual.

1495 में से 221 नमूने अशुद्ध

मिलावटियों की मौज

खाद्य निरीक्षक के 34 पद
23 साल से खाली

मानवाधिकार आयोग ने
उठाया सरकार की
संवेदनहीनता पर सवाल

जयपुर, 25 दिसम्बर (का.सं.)

इस साल खाद्य वस्तुओं के 1495 नमूनों में से 221 में मिलावट पाई गई, 2007 में 1903 में से 223 नमूने मिलावटी निकले। ये मिलावटी पदार्थ नमूने लेने के बाद भी बाजार में बिकते रहे। वजह, खाद्य निरीक्षकों की कमी से नमूनों की जांच समय पर नहीं हो पाई।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. बी.आर. मीणा ने स्वयं राज्य मानवाधिकार आयोग में एक मामले की सुनवाई के दौरान इसका

खुलासा किया। 1985 से अब तक खाद्य निरीक्षक के 34 पद खाली है, उनके स्थान पर 21 स्वास्थ्य निरीक्षकों से काम लिया जा रहा है।

मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एन.के. जैन ने इस स्थिति पर गम्भीर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब समय पर कार्रवाई नहीं हो तो उसका फायदा क्या है? लम्बे समय तक खाद्य निरीक्षक के पदों को नहीं भरना सरकार की संवेदनहीनता है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए पर्याप्त प्रयोगशाला स्थापित करे और नियमित पात्र स्टाफ लगाए। आयोग ने परिवाद निस्तारित कर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से खाद्य निरीक्षकों के स्वीकृत पदों को शीघ्र भरने, मिलावटी वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए मुस्तैदी दिखाने को कहा है। साथ ही तीन माह में पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

रोडवेज बसों पर तंबाकू के विज्ञापन क्यों?

नसं. जयपुर. राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से पूछा है कि वह रोडवेज की बसों पर तंबाकू उत्पादों का प्रचार क्यों कर रहा है? आयोग अध्यक्ष न्यायाधीश एन.के.जैन ने कैंसर सोसायटी व अन्य समाजसेवी संस्थाओं के परिवाद पर निगम को 15 दिन में बसों पर विज्ञापन की नियमावली पेश करने को कहा है।



मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाये : मुख्यमंत्री

मानवाधिकारों का नहीं होने देंगे हनन

मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने की मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष से मुलाकात जयपुर, 4 मार्च। राज्य सरकार मानवाधिकारों को लेकर पूरी तरह गंभीर है किसी भी स्तर पर मानवाधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार की नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने मानवाधिकार आयोग की बेहतर कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन को आश्वस्त किया। मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने बुधवार को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन से मानवाधिकार आयोग के कार्यालय में मुलाकात की। लगभग आधा घंटे तक चली मुलाकात में दोनों के बीच मानवाधिकार के मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। जैन ने सिंह को मानवाधिकारों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी। श्रीमती सिंह ने मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिकार के स्थान पर कर्तव्य की प्रतिज्ञा दिलवाने के अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि यह अभिनव प्रयोग है इससे बालकों के बीच अच्छे संस्कार पैदा होंगे। मंगलवार को जैन से राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हरीश मीणा ने मुलाकात की थी।



हर थाने में लगेंगे कानूनी जानकारी के सूचनापट्ट

पुलिस महानिदेशक मीणा ने की मानवाधिकार
आयोग अध्यक्ष जैन से मुलाकात

जयपुर, 3 मार्च। राजस्थान पुलिस आम नागरिकों को मानवाधिकारों और कानून की जानकारी देने वाले सूचनापट्ट हर थाने में लगाएगी। पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा ने मंगलवार को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायाधीश एन के जैन को आश्वस्त किया कि मानवाधिकारों के मामले में पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा ने मंगलवार को मानवाधिकार आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन. के. जैन से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग पौन घंटा बातचीत हुई। जैन,

ने मीणा को आश्वस्त किया कि सुप्रीम कोर्ट के डी के बसु मामले में थाने में आम नागरिक को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश की पालना की जाएगी। जैन ने जानकारी दी कि मानवाधिकार आयोग में शिकायत के बाद परिवादी को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के मामले सामने आए हैं। ऐसे मामले में कठोर कार्रवाई की जाए। मीणा ने ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। दोनों के बीच मानवाधिकार की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग और पुलिस के बीच सामन्जस्य स्थापित करने पर विचार-विमर्श हुआ।

महिलाओं की दयनीय स्थिति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

जोधपुर, (निसं)। आज से कानून एवं महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करना... विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जयनारायण विश्वविद्यालय एवं महिला विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। महिला महाविद्यालय के सभागार में शुरू हुई इस संगोष्ठी का उद्घाटन न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेएनवीयू के कुलपति डॉ. लोकेश कुमार शेखावत ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष

डी.एल. जोहर ने की। संगोष्ठी के निदेशक विधि संकाय के प्रो. रामनिवास शर्मा ने बताया कि आदिकाल से पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। वैदिक काल को छोड़कर स्मृति काल से देश के स्वतंत्र होने तक महिलाओं का स्तर व स्थिति दोगम दर्जे की रही है और महिला ज्यादातर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पुरुष पर निर्भर रही है। प्रो. शर्मा ने बताया कि पश्चिमी देशों में भी महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एवं मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948

जारी होने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार का प्रयास शुरू हुआ। इस घोषणा पत्र में महिलाओं को प्रथम बार हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति एवं स्तर में सदस्य राष्ट्रों की उदासीनता के कारण ज्यादा सुधार नहीं हो पाया। सुधार को तेजी से अप्रेषित करने के उद्देश्य से 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की कन्वेंशन को संघ के सभी सदस्य राष्ट्र को सहमति से लागू किया।



राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का इयके गठन से ही यह प्रयास रस रोक राज्य की आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के साथ-साथ लोक सेवकों को समर्पित मात्र से कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए प्रेरित किया जाए। यरूसी है कि प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकारों के खनन से बचाने के लिए यह प्रयाग बनाया गया है। अब तक राज्य के लोक सेवकों की यह सेवा थी कि यह आयोग कोई समानांतर कोर्ट/सरकार नहीं है, अपितु यह तो लोक सेवकों को अपने-अपने कार्य निष्ठा और संवेदनशीलता से करने की अपेक्षा करता है और आयोग तो नृशासन में ही मददगार है। अब उनकी सेवा में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। आयोग द्वारा शिकायतों को सुनवाई की प्रक्रिया में संशोधित विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर लॉजिकल कन्क्लूजन से इनका निस्तारण करने के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जाकर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि समूह लोग तो अपने अधिकारों की रक्षा करने एवं मानवाधिकारों के खनन को रोकने में सक्षम हैं, किन्तु हमें हर वर्ग खासतौर पर पीड़ित, दलित एवं कमजोर वर्ग के साथ-साथ बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी। इसलिए जो अल्प मात्र बर्से रखरकर सेवा माव, मानवीय दृष्टिकोण, संवेदनशीलता एवं सदभावना से कार्य करना होगा।



मानवाधिकार और कर्तव्य

■ न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

यही बात हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना, लोगों की मूल भावना और लोकतंत्र की मंशा 'ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाइ द पीपुल' के अनुरूप भी है, जिसमें देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी अपेक्षा की गई है। तभी हम संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। एक सुदृढ़ लोकतंत्र के तीन स्तंभ होते हैं- विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायापालिका। तीनों ही स्तंभ अपने-अपने हिस्सा से काम कर रहे हैं। इनमें कोई छेदा-बड़ा नहीं है। साथ ही, लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए प्रेस भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है व उसकी अहम भूमिका रहती है।

जैसा व्यवहार हम दूसरों से हमारे लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना होगा। अतः सभी वर्ग के लोगों से मानवाधिकार आयोग की अपेक्षा है कि वे मानवाधिकारों का संरक्षण करें। यह किसी का अधिकार है तो किसी का कर्तव्य। दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकार के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी और तभी हम देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम होंगे। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रम संख्या-एच से तीस तक के सभी आर्टिकल 26 जनवरी 1950 के हमारे संविधान में समाविष्ट कर लिए गए हैं। इस घोषणा पत्र के आधार पर व्यक्ति के मानवाधिकारों को तो संविधान में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार के अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होता है, जो संविधान की मंशा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1977 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा व्यक्ति के मूल कर्तव्यों को आर्टिकल-51 ए के माध्यम से जोड़ा गया। तीन दशक बीत जाने के बावजूद इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने से हर व्यक्ति इसकी भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रहा है। तथागत है कि 'इन्डोरेस ऑफ ला

मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ

भारतीय संविधान के आर्टिकल-51 ए में हमें संविधान का आदर करने एवं कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए कहा गया है। संविधान का आदर करने का अर्थ है, हम अपना स्वयं का आदर और अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार स्वयं का अर्थ है, हम अपना स्वयं का आनंद-आन और शान का प्रतीक। इसके तीन रंग- केसरिया, सफेद और हरा क्रमशः बलिदान, शांति और प्रगति के प्रतीक हैं और यथेष्ट में नीले रंग का अशोक चक्र धर्म की राह पर चलने का संदेश देता है। हमें इसका तहेदिल से सम्मान करना चाहिए। जो तिरंगे और सद्गुण के महत्व को समझते हैं वे तो अलिट्ट होने के बावजूद इनको पूर्ण सम्मान व आदर देते हैं, परन्तु आज हम देख रहे हैं कि गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चौराहों पर जगह-जगह फायर और फ्लारिडक के सद्गुण चिह्न रहे हैं तथा लोग इसे खरीद भी रहे हैं। परन्तु इन चिह्नों को खरब हो जाने पर इन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है। यह राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं तो और क्या है? इसके अलावा यह भी देखने में आता है कि पढ़े लिखे लोग क्रिकेट एवं अन्य खेल देखते समय गाली पर तिरंगे बगवाते हैं तथा तहमद की तरह लपेटते हैं और जीतने की खुशी का इन्हें बस तरह से करते हैं कि तिरंगा जमीन और पानी में आ जाता है, जबकि किसी भी खिलाड़ी द्वारा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फलक जीतने पर भारतीय तिरंगे कहराते हुए राष्ट्रगान बजाने पर भी ध्यान नहीं जाता है या वे इसे इसके प्रति गंभीर नहीं है। अतः हमें इस प्रकृति से बचना होगा और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। सिनेमा हॉल अथवा किसी अन्य विशेष अवसर पर राष्ट्रगान बजने पर हमें संविधान की मुद्रा में खड़े होकर इसको सम्मान देना चाहिए।

जिस प्रकार देश की आजादी से पहले हमारे महान् राष्ट्र नयकों ने भारत छोड़ो आन्दोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार संबंधी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्याय्यकरण करने जैसे अनेकानेक आंदोलन चलाए थे और अपने त्याग और बलिदान से देश के लोगों को स्वतंत्र भाव से शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, जिससे देश को आजादी मिली। उसी प्रकार आज हमें देश की एकता एवं अखण्डता कायम रखने के लिए आतंकवाद का मुकाबला और भ्रष्टाचार मिटाने जैसे ज्वलंत एवं समसामयिक समस्याओं के प्रति स्वयं जागरूक रहने के साथ-साथ अधिक से अधिक अन्य लोगों को भी साम्प्रदायिक संघर्ष बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करना होगा। यह हमारा कर्तव्य भी है और ऐसे उच्च आदर्शों की पालना आज के समय को सबसे बड़ी मंशा है।

हमारी वस्ती स्वयं से ही प्रकृति पर आश्रित रही है। यदि प्रकृति ही हमारे साथ नहीं रही तो धरती का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें संविधान की मंशा के अनुरूप हमारे प्राकृतिक स्रोतों यथा वन, झील, नदी और तट्य जमीनों की रक्षा करनी होगी। इनके संरक्षण के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने होंगे। यदि इनका अस्तित्व नहीं रहेगा तो मानव का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रकृति से छेड़छाड़ हमारे जीवन से खेलने के समान है।

मानवाधिकार और कर्तव्य

■ न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

देखा गया है कि आज मनुष्य स्वयं अपने तक ही सीमित होकर रह गया है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमें स्वयं के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र की सेवा के लिए भी तत्पर रहना होगा क्योंकि राष्ट्र का निर्माण समाज से, समाज का निर्माण परिवारों से तथा परिवारों का निर्माण व्यक्ति से होता है। नारी ही प्रत्येक परिवार की धुरी होती है। इसी क्रम में प्रत्येक माता ही बच्चों की प्रथम गुरु होती है। स्त्री की सामाजिक प्रबंधन क्षमता तुलनात्मक रूप से पुरुष से अधिक होती है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी तरक्की की है। आज भी महिलाओं के प्रति उपेक्षा एवं उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि वह महापुरुषों की जननी है। इसलिए हमें चाहिए कि इनके संरक्षण एवं सुरक्षा के दायित्व को निभाएं तथा इनके सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का विरोध करें और अधिक से अधिक लोगों को ऐसी प्रथाओं के परित्याग के लिए प्रेरित करें।

आज जगह-जगह धर्म, भाषा, प्रादेशिकता एवं वर्ग-विभेद के नाम पर लोग एक-दूसरे के विरोधी होते जा रहे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। यह समाज और देश के लिए अत्यंत घातक है। धर्म समाज का पोषण करता है। कोई भी धर्म शोषण की बात नहीं कहता है। अपनी। आस्थाओं के अनुसार धर्म हर व्यक्ति को अनुशासन में रहना सिखाता है। दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो, धर्म इस बात की तरफ भी आकर्षित करता है। हमें सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाने हुए सभी धर्मों का आदर करना होगा। सम्पूर्ण देश हमारा है। यहां के सभी निवासी हमारे भाई-बंधु ही हैं। किसी भाषा विशेष अथवा क्षेत्र विशेष पर किसी एक का अधिकार नहीं है। यह बात भी हमें सच्चे मन व ईमानदारी से अपने दिल में उतारनी होगी।

अहिंसा परमोधर्म: और वसुधैव कुटुम्बकम जैसे आधारभूत सिद्धान्त हमारे देश की ही देन है। आज सम्पूर्ण विश्व हमारी इन मान्यताओं का कायल है। हमारे संविधान में भी इन्हीं सिद्धान्तों को समाहित करते हुए प्राणी मात्र के लिए दयाभाव रखने की बात कही गई है। दया धर्म का मूल है अर्थात् जहां दया है, वहीं धर्म निवास करता है। 'अहिंसा' दया का सबसे बड़ा उदाहरण है। किसी भी काम को करने के लिए यह देखना जरूरी है कि उस काम से किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। हिंसा मनुष्य की मानसिक विकृति को दर्शाती है। हमारे संविधान की मंशा भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति दया रखे और हिंसा से दूर रहे। सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति हमारी है। हम ही इसके निर्माता और हम ही इसके संरक्षक हैं। हमें ही इसे भोगना है। अतः इसकी संरक्षा के लिए हमें कृतसंकल्प रहना होगा। आज अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलनों के नाम पर देश की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना आम बात हो गई है। देश की सम्पत्ति के नुकसान का अर्थ है कि हम अपने आपको उतना ही अधिक पीछे थकेल रहे हैं। कानून बनाने मात्र से देश की सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। यह सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें स्वयं ही जागरूक होना होगा तथा यह बात भी हमें बखूबी समझ लेनी चाहिए कि देश की सम्पत्ति का विध्वंस हमारा अपना स्वयं का विध्वंस है। जिस प्रकार प्राचीन काल में हमारे ऋषि-मुनियों, धर्म गुरुओं, विद्वानों, आचार्यों, कवियों तथा साहित्यकारों ने सम्पूर्ण विश्व में भारत का परचम फहराया और अपनी अलौकिक शक्तियों व ज्ञान का लोहा मनवाया, उसी प्रकार आज के इस वैज्ञानिक युग में हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा भी आधुनिक तकनीक और अपनी योग्यता के बल पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की प्रगति को अग्रणी बनाया हुआ है। अतः हमें हमारे वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण, विद्वानों की मानवता और धर्मगुरुओं द्वारा चलाए जा रहे सुधारवादी विचारों का तैयारि से आदर करना चाहिए, क्योंकि सेवा का भाव सभी के अन्दर है। बस इसे इन्कलकैट करना होगा। यही हमारे देश के संविधान की मंशा है। भाईचारे की भावना और एक-दूसरे के सुख-दुःख

में भागीदारी हमारे देशवासियों में प्राचीन काल से चली आ रही है। परस्पर भाईचारा धर-परिवार व बुजुर्गों के साथ समन्वय बनाए रखना आज के समय की आवश्यकता है। यह परम्परा हमें यथावत जारी रखनी होगी। इसे अनदेखा करना हमारे लिए घातक हो सकता है। यही हमारे संविधान की मंशा है। हमें सकारात्मक विचार एवं बदलाव की जरूरत है। हमें स्वार्थ की भावना से उठकर स्वयं की प्रगति एवं उन्नति के साथ-साथ समाज के कल्याणार्थ चलाई जा रही गतिविधियों में भी बढ़बढ़ कर सहभागिता निभानी होगी और सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति हेतु सामूहिक प्रयास करने होंगे। जो समय की मांग है। यही हमारे संविधान की मंशा है। हर मां-बाप अपने बच्चों की उन्नति के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो उसकी क्षमता से अधिक व अच्छी पाठ्यादि करवाकर बढ़ा आदमी, पढ़ाई वाला, स्टेट्स वाला बनाना चाहते हैं। आज का बच्चा नोलेजेबल इन्टीलीजेंट व अच्छा आईव्यू रखने वाला है। पर मानवीय मूल्यों की अधिक जरूरत है क्योंकि कंप्यूटर संस्कार नहीं दे सकता। संस्कार तो मां-बाप के आचरण व गुरुजनों से ही प्राप्त होते हैं, परन्तु हिप्पोक्रेसी की वजह से हम बच्चों को मौलिक शिक्षा देने से चूक रहे हैं, जिसका नतीजा आज के भौतिक युग में हम सभी देख रहे हैं। इसलिए संविधान में वर्णित कर्तव्यों के बारे में उनको बताना जरूरी है। उक्त सभी बातें हमारे संविधान के आर्टिकल 51ए में निहित हैं। इसलिए मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मेरा विनम्र प्रयास है कि हर मां-बाप की जिम्मेदारी है कि वह संविधान के आर्टिकल 51 ए में वर्णित शब्दों, विचारों एवं भावों को समझे और दूसरों को भी समझाए।



हालांकि देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। लेकिन जब तक हम शिक्षा को बढ़ावा और बेरोजगारी एवं कुरीतियों को दूर कर मानसिकता में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। हमारे देश के सभी धर्म और साम्प्रदायों के संत, आचार्य और धर्मगुरु भी आमजन को सद्गुणों, मर्यादित जीवन के साथ मानवीय मूल्यों पर चलने की बात कहते हुए अच्छा नागरिक बनने की सलाह दे रहे हैं। फिर भी यदि उनके द्वारा संविधान में निहित कर्तव्यों का बोध कराया जाए तो आमजन में इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सभी धर्मों का निचोड़ हमारे संविधान के

आर्टिकल-51ए में है कि हम विनयशील बनें और अहिंसा के साथ परस्पर समन्वय, सुहार्म, सहिष्णुता, दया, क्षमा, पवित्रता और नम्रता जैसे सुखद मार्ग पर चलें, जिससे सही भावने में जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके। आज एक तरफ तो देश में ट्रेन चलाने, चांद पर पहुंचने की बात कर रहा है और देश में बड़ी-बड़ी इमारतें और बड़े-बड़े मॉल्स बन रहे हैं, और हम देश की सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) 9 प्रतिशत तक ले जाने की बात कर रहे हैं और कुछ/महानुभाव देश-विदेश के समृद्ध लोगों की लिस्ट में सुमार है और उच्च स्तर की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश की 70 प्रतिशत जनता इन सभी बातों से अनभिज्ञ है। गरीब और अधिक गरीब हो रहा है और वह अपनी से ही शोषित हो रहा है, जिसको दूर किए जाने की जिम्मेदारी सभी की है।

आयोग के समक्ष विभिन्न प्रकार की शिकायतों के साथ-साथ इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं कि खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट हो रही है, पर्यावरण और पेड़ लगाने के नाम पर अपने मकानों के आगे अतिक्रमण किया जा रहा है, मादक पदार्थों को बढ़ावा व जानवरों की तरक्की, महिलाओं-बच्चों एवं मानव अंगों की तरक्की की जा रही है, बुजुर्गों, महिला व बालकों के प्रति समन्वय में कमी आ रही है और संवेदनशीलता नहीं बरती जा रही है। यह सब स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, मानवीयता के अभाव, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण है। साथ ही, बिना परिणाम के बारे में सोचे समझे कि जनता को क्या संदेश जा रहा है, सिनेमा और टीवी पर विज्ञापन प्रसारित किए जाकर जनता की भावना को भुनाया जा रहा है। सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ-साथ, इन सब बातों का निराकरण स्वयं की सही एवं सकारात्मक सोच के बिना संभव नहीं है। सिर्फ सरकार व कानूनी प्रक्रिया से ही यह सब संभव नहीं है। इसलिए आम जनता को जागरूक रहकर अपने कर्तव्यों की निर्वहन पूर्ण क्षमता और निष्पक्ष के साथ करना होगा। वैसे तो हर व्यक्ति को सभी कुछ मालूम है, परन्तु क्रियान्विति की कमी है।

इसलिए इस लेख के माध्यम से मेरा सादर निवेदन है कि स्वयं सुद्धि के साथ हर क्षेत्र में अग्रणी बंधु, शिक्षक, धार्मिक गुरु, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता व मीडिया की समाज के पुनः निर्माण में ईमानदारी से अहम भूमिका निभानी होगी तथा समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा, जिससे मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी। इसलिए हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह जीवन में संकल्प ले तथा व्यवहार में नैतिकता, ईमानदारी और निष्पक्ष के साथ काम करें। लोग अपने कर्तव्यों को समझे, उनकी पालना करें, जिससे उनके अन्तःकरण में परिवर्तन के साथ-साथ सकारात्मक सोच का भी प्रादुर्भाव होगा और वह देश की एकता और अखण्डता कायम रखते हुए अपने आत्मकल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

जस्टिस एन.के. जैन की उत्कर्ष उपलब्धियां

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मानित अध्यक्ष जस्टिस एन.के.जैन एक ऐसी संवेदनशील, विनयशील व कर्तव्य परायण प्रतिभा हैं, जो राजस्थान की जनता, जनप्रतिनिधि, लोकसेवक व प्रबुद्धजनों को मानव अधिकारों के प्रति सचेष्ट व जागरूक करने में अपने आपको समर्पित कर दिखलाया है। आयोग के विगत 5 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान में लोकतंत्र व संविधान की आत्मा का स्वरूप निखरा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 ए को आत्मसात कराने में जस्टिस जैन ने व्यक्तिगत ईच्छाशक्ति का प्रदर्शन व निज कर्मपथ को गतिमान बनाया है वह श्लाघनीय ही नहीं अपितु लोकतंत्र के इतिहास में लिखने योग्य स्वर्ण पंक्तिया भी हैं। मैं यह घोषणा इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जस्टिस जैन से बार बार साक्षात्कार लिए हैं और हर बार उन्हें मानव अधिकार और कर्तव्य निर्वहन पर काम करते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए, बोलते हुए और भ्रमण करते हुए मानव अधिकार व कर्तव्य बन गई हैं। वे सर्वत्र मानवीय संवेदनाओं व जीवनमूल्यों की खुशबू बिखेर रहे हैं। उनका प्रशासनिक कार्यालय एस.एस.ओ बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर है, किन्तु आमजन में जन जागृति लाने के लिए वे स्कूल, कॉलेज, क्लब, सभा, सम्मेलन, वर्कशॉप, विश्वविद्यालय, स्वैच्छिक संस्थाएँ, फेडरेशन्स आदि में स्वयं उपस्थित दर्ज कराते रहकर "विचार व प्रचार" का दर्शन फलोभूत कराते हैं, अत वे लोकप्रियता व आत्मियता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जा रहे हैं। वस्तुतः जस्टिस जैन "सिद्धान्त व व्यवहार" के समन्वय की अद्भुत मिसाल हैं।

राज्य मानव अधिकार आयोग की पंचवर्षीय प्रगति-रिपोर्ट काफी रोमांचकारी है और राजस्थान के लिए गौरव जन्य उपलब्धियाँ हैं। प्रबुद्ध पाठकर्म के ज्ञानवर्द्धन हेतु प्रगति अंकड़े प्रेषित हैं-

विभिन्न कानूनी व अन्य विषयों पर 32 लेखों का प्रकाशन।

आयोग द्वारा 18 बुकलेट्स प्रकाशित कर स्कूल लाइब्रेरी में।

आयोग की अतुमति से समाजसेवियों ने करीब 6000 पुस्तकें पुनः प्रकाशित कराईं और निःशुल्क

वितरण की। संविधान आर्टिकल 51 ए को प्रतिभा के 80,000 से ज्यादा कॉलेज्ड्स और 50,000 पैम्फलेट्स छपवाकर राज्यभर में बंटवाये गये। कुछ संस्थाओं ने तो 4000 व्यक्तियों को ई-मेल भेजकर उक्त अभियान को परवान पर चढ़ाया है। आयोग द्वारा त्रैमासिक न्यूज लेटर का नियमित मुद्रण व प्रकाशन कर प्रोजेक्ट्स को फालोअप किया गया है। आयोग के 5 साल के कार्यकाप



आयोग के विगत 5 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान में लोकतंत्र व संविधान की आत्मा का स्वरूप निखरा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 ए को आत्मसात कराने में जस्टिस जैन ने व्यक्तिगत ईच्छाशक्ति का प्रदर्शन व निज कर्मपथ को गतिमान बनाया है वह श्लाघनीय ही नहीं अपितु लोकतंत्र के इतिहास में लिखने योग्य स्वर्ण पंक्तिया भी हैं।

अपने विभिन्न कार्यक्रमों में आमजन को विविध जानकारी के साथ प्रोजेक्टर पर प्रदर्शन करवाकर विद्यार्थी व आम नागरिकों से अवगत कराने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वह प्रशंसनीय है। यह उल्लेखनीय है कि आयोग को पिछले 56 महीनों में करीब 17100 परिवाद प्राप्त हुए जिनमें से 16050 परिवादों का तर्कसंगत निष्कर्ष निकालकर निस्तारण

में 7 (दो पूर्व के वर्षों सहित) 16 न्यूज लैटर्स के अंक प्रकाशित करवाये हैं और वार्षिक प्रतिवेदन निश्चित समय पर प्रेषित किए गए हैं।

कॉलेज, यूनिवर्सिटी के 40 छात्र-छात्राओं द्वारा आयोग में इन्टरशिप के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए और तैयार की गई हैं।

कुछ विद्यार्थियों ने अन्य 14 विषयों पर व फिर 7 विषयों पर जैसे महिलाओं के अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, बालश्रम, पर्यावरण, रोगिंग, वुमेन ट्रेफिकिंग, कैसर, एचआईवी एड्स, जुवेनाइल-जस्टिस, फीमेल फॉर्टीसाइड, आर्टिकल 51 ए, आयोग व आयोग की गतिविधियों व दिशानिर्देशों पर पॉवर-पाइंट प्रोजेक्ट तैयार किए।

आयोग ने 14 विषयों की सीडी और फिर 7 विषयों की सीडी तैयार की। विद्यार्थियों को अपनी विभिन्न विषयों पर बनाई सीडी संबंधित लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दिखलाई जा रही है। साथ में करीब 23 संस्थाओं ने आयोग द्वारा उपलब्ध कार्य कई कमसोलोडेटेड सीडी का

किया गया। इस वर्ष भी 3251 दर्ज हुए जिनमें 2714 का निस्तारण किया जा चुका। यह प्रसन्नता का विषय है कि आयोग द्वारा प्रेषित 200 दिशा निर्देशों में राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों ने करीब 160 मामलों में क्रियान्वित कर आयोग को सूचित किया है।

जस्टिस एन.के.जैन (पूर्व मु.न्यायाधिपति मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट) वर्तमान चैयरपर्सन राजस्थान राज्य मानवअधिकार आयोग ने अपने साक्षात्कार में बार बार यह स्पष्टीकरण दिया है कि मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कर्तव्य का निर्वहन समर्पित भाव से किया जाए। क्योंकि एक में ही पुष्टित व पल्लवित हो सकता है। मानव अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन व क्रियान्वयन सम्पूर्ण मानव जाति को प्राथमिक आवश्यकता है। मानव की बन्मसिद्ध अधिकार है। यह स्वतंत्रता श्रीमद भागवत गीता के अन्दर दर्शायी गई है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोह मुक्त कर उसे अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रेरित किया और युद्ध के लिए तैयार किया। कृष्ण ने यह भी संदेश दिया

"कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा तेसडोडस्त्व कर्मणि।।"

अर्जुन का कर्तव्य है कि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करे और नपुंसकता त्यागे। युद्ध में हार-जीत की चिन्ता भी अर्जुन को नहीं करनी है क्योंकि फल-उसके हाथ में नहीं है, केवल कर्तव्य उसके हाथ में है।

आज हमारा देश विषद संविधान रखता है। उसी प्रस्तावना में मूलभावना दर्शायी गई है। देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी अपेक्षा की गई है। तभी हम संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। इसलिए जैसा व्यवहार हम दूसरों से हमारे लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना होगा। विधि विशेषज्ञ व अनुभव सिद्ध जस्टिस जैन अपनी अवधारणाओं में काफी सुस्पष्ट हैं। वे पीड़ितों, महिलाओं, बालकों व वृद्धजनों के प्रति समाज में सुन्दर व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं और सरकार व व्यवस्थापकों से मांग करते हैं कि पीड़ितों व वृद्धों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात करे। जो गैर जिम्मेदाराना तत्व या असामाजिक तत्व मानव अधिकारों को क्षति पहुंचाना चाहते हैं उन्हें उचित दण्ड मिलना चाहिए और समाज में सीहार्द व भाईचारा बचाना चाहिए। जैन धर्म में भी मानव अधिकारों का संरक्षण कर्तव्य निर्वहन में ही बतलाया गया है। आयोग द्वारा प्रकाशित "अनुव्रत एवं मानव अधिकारों" नामक बुकलेट में छोटी छोटी बातों का पालन करने पर बहुत बड़े अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा दर्शाया गया है। जस्टिस जैन का मन्तव्य है कि हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थ मानव अधिकारों के संरक्षण एवं मानव मूल्यों के शिक्षण में काफी मददगार हैं। हमें उक्त ग्रन्थों में से ऐसे प्रकरण खोजकर समाज के सम्मुख रखने चाहिए जिससे स्थाई लाभ मिल सके और हमारा विश्वास बढ़ सके।

वस्तुतः चैयरपर्सन जस्टिस एन.के.जैन ने राजस्थान को मानव अधिकारों के लिए जनजागरण करने में अपनी अमूल्य प्रतिभा का परिचय दिया है। आयोग की पंचवर्षीय प्रगति अभिनन्दनीय है, ऐसा मेरा अभिमत है।

- एम.एल. धौंकरिया

मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य मानवाधिकार आयोग ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

जयपुर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके लिए सतत प्रयासरत है। आयोग ने राज्य की आमजनता के साथ-साथ लोकसेवकों को समर्पित भाव से कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. जैन ने बताया कि यह आयोग कोई समानांतर कोर्ट या सरकार नहीं है, बल्कि लोकसेवकों से केवल अपना कार्य निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ करने की अपेक्षा करता है। उन्होंने बताया कि आयोग शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया में संबंधित विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर शिकायतों का निस्तारण करता है और समय-समय पर अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया जाता है।

जैन ने बताया कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक अनुच्छेद-51 ए में निहित भावों को समझे और उन्हें जीवन में पूरी ईमानदारी और संकल्प के साथ उतारे तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से छोड़ी गई मुहिम का अनुसरण करते हुए कई स्कूलों में अनुच्छेद-51 में निहित भावों की पालना करने का संकल्प प्रार्थना के समय प्रतिदिन दोहराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग की अपील पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, जयपुर नगर निगम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी

इस मुहिम से जुड़कर लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है।

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि करीब 62 संस्थाओं ने अनुच्छेद-51 के प्रारूप के 20 हजार से ज्यादा केलेंडर और करीब 80 हजार पैम्पलेट्स छपवाकर राज्यभर में कार्यक्रमों के दौरान बंटवाए हैं। इस प्रचार-प्रसार से लोगों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जागरूकता पैदा हुई है।

उन्होंने बताया कि हर किसी को कानून की सम्पूर्ण जानकारी होना संभव नहीं है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग की ओर से विविध कानूनी विषयों पर लेख और बुकलेट्स प्रकाशित की गई हैं। इनमें से कुछ को पुनः प्रकाशित करवाया गया है। इसके अलावा कुछ बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से राज्य के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों एवं अन्य व्यक्तियों ने अपने प्रियजनों की याद में पुनः प्रकाशित करवाया है।

श्री जैन ने बताया कि महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, एचआईवी एड्स, मानवाधिकार, संबंधी करीब 76 हजार पुस्तकें आमजन में वितरित की गई हैं, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और शोषण से बच सकें। आयोग की ओर से एक त्रैमासिक न्यूजलेटर भी प्रकाशित किया जाता है,

जिसमें आयोग की गतिविधियों सहित सभी नवीन जानकारियां शामिल की जाती हैं।

उन्होंने बताया कि 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रम संख्या-एक से तीस तक के सभी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में समाविष्ट कर लिया गया था। इस घोषणा पत्र के आधार पर मानवाधिकारों को भी संविधान में शामिल कर लिया गया। हर प्रकार के अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होता है, जो संविधान की मंशा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1977 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा व्यक्ति के मूल कर्तव्यों को आर्टिकल-51 ए के माध्यम से जोड़ा गया है, लेकिन तीन दशक बाद भी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने से हर व्यक्ति इसकी भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग इसी दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

अनुच्छेद-51 के अनुसार हमारे कर्तव्य हैं कि हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। एकता व अखंडता कायम रखने के लिए आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक रहें और लोगों को जागरूक करें व साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखें। प्राकृतिक स्रोतों यथा वन, झील, नदी और वन्यजीवों की रक्षा करें। स्वयं के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र के निर्माण एवं सेवा के लिए तत्पर रहें। धर्म, भाषा, प्रादेशिकता एवं वर्ग विभेद के नाम एक-दूसरे के विरोधी नहीं बनें।

मानवाधिकारों के प्रति जागरूक रही



ह

जाती-साल के इतिहास में मनुष्य और प्रकृति की सर्वोच्चता का जयघोष करने, सुनने के बाद आज 21वीं शताब्दी की वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच यदि कोई संकट में है, तो वह मनुष्य और प्रकृति ही है। दुनिया के 192 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणापत्र को पढ़कर चौंकते और हैरान हैं, क्योंकि मनुष्य समाज की खुद अब यह पता चला है कि उसका भविष्य क्या है? एक तरफ विज्ञान ने मनुष्य का रीनीकरण कर दिया है, तो दूसरी तरफ पूंजीवादी विकास ने समाज का जाचोकरण कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ही, जहाँ 9-10 प्रतिशत विकास दर की श्रेणी बंधारी जा रही है, वहाँ आज 77 प्रतिशत आबादी केवल 20 रुपये रोज़ पर जीने को लाचार है। कानून का शासन और मानवाधिकार की सारी बातें हवाई हैं, क्योंकि आज भी समाज में 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' का संविधान ही लागू है। इस तरह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक न्याय और समानता के सभी सिद्धांत ऐसे लग रहे हैं, जैसे कि हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग-अलग होते हैं।

इसनाकरण वेद व्यास

राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल का ही आज यह परिणाम है कि आयोग ने सैकड़ों सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की प्रदेश में अलख जगा रखी है और यह साबित कर दिया है कि कठिन और जटिल राज्य व्यवस्था के भरोसे न रहकर जनता का मानवाधिकारों के प्रति सशक्तिकरण किया जाए।

मानवाधिकारों की मशाल को लेकर भूखे-नंगे आदिवासी-वनवासी तो अब नक्सलवादी बन गए हैं, तो दलित जातियाँ अल्पसंख्यकीय हो गई हैं। कोई उग्रवादी, तो कोई पृथक्तावादी हो गया है। ऐसे में आतंकवाद की सारी अवधारणाएँ जाती, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता को कोख से ही जन्म ले रही है। पूरे मनुष्य समाज में और प्रकृति की संरचना में इस तरह का जलवायु परिवर्तन आ रहा है कि- अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ़ कर्तव्यों की इतिश्री भी हो रही है। हिंसा और प्रतिहिंसा के इस कठिन समय में मानवाधिकारों को चाते अब केवल अदालतों फिसली तक सीमित हो गईं हैं। हमें लगता है कि वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार एक भ्रम है और अयमानता एक यथार्थ है।

मानवाधिकार के जंगल में लगी इस आग को बुझाने के लिए राज्य व्यवस्था के अपने संविधान और कानून हैं, तो अन्याय और शोषण के अधिकार चलाने वाले समाज के अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र हैं। आज साम्राज्यवादी और धर्मभीरु भनो-धनो से कोई यह नहीं पूछता कि- विद्यमान पर परमाणु बम धराने का अधिकार उसे किसने दिया था और फिलस्तीनी को उनकी मातृभूमि से बेदखल करके दिया था और अफगानिस्तान, ईराक और पाकिस्तान को दबाह क्यों किया जा रहा है और खाड़ी के अरब देशों में तथा दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक और आर्थिक हस्तक्षेप को राजनीति क्यों घोषण रहा है? आज पूरे दुनिया के छोटे-बड़े देश इसलिए गुलामी के हीम समूह बनते जा रहे हैं कि पूंजी + सैनिक + विज्ञान से लैस कुछ अमीर देश ही गरीब देशों की स्वायत्तता और राष्ट्रपिता को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में जब राष्ट्र और राज्यों के अधिकार ही लूटे जा रहे हैं, तब भला मनुष्य के अधिकारों की चर्चा क्यों करेगा? आज भारत में भी मानवाधिकारों को लेकर कोई गंभीर चिन्ता किसी शासन और प्रशासन में इसलिए ही नहीं है कि राज्य व्यवस्था का बेरोज, चाल और चरित्र ही समाज और न्याय विरोधी है। यहाँ लोकतांत्रिक सरकारें ही मानवाधिकार की अदालत में सबसे बड़ी अपराधी हैं तथा पुलिस और प्रशासन कहीं भी संवेदनशील, पारदर्शी तथा जवाबदेह नहीं हैं। आजादी के बाद 1948 में तद्वृत्तता मायाका गांधी को हत्या से लेकर 2002 में हुए गुजरात के अल्पसंख्यक विरोधी त्रिकूट उपद्रव भी इस बात के ही गवाह हैं कि मानवाधिकार के प्रति, राज्य व्यवस्था की पोषित राजनीति में ज़ोरों जगह नहीं है। 1984 के दिल्ली में हुए निष्पक्ष विरोधी दंगे और 25 साल पहले घोषण की गैस जालदी में हजारों बेगुनाहों की मौतें और सांप्रदायिक हिंसा से लोभपथ हमारा लोकतंत्र आज तक इस बात पर चुप है कि मानवाधिकारों से इन सभी धेकसूर खाने वालों का भी कोई निष्पत्ता-नशा था।

इस तरह भारत में मानवाधिकारों की दारतान इसलिए भी बढ़ चरी है कि यहाँ संविधान से लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे सभी संस्थान तो बने हुए हैं, लेकिन अस्तित्व में या सभी आयोग निहथे और प्रभावहीन हैं, क्योंकि यहाँ संरक्षित संस्थाएँ ही सबसे अधिक संगठित मानवाधिकार विरोधी

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993-94 के अंतर्गत मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का मार्च, 2000 में गठन हुआ था। कहने को यह आयोग भी एक स्वायत्तशासी संस्थान है, लेकिन इसकी अभी नियुक्तियाँ, बजट और दिशा-निर्देशों की अनुपालना राज्य सरकार ही करती है। वर्तमान में अलख निवासी और मद्रास से कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नगेंद्र कुमार जैन इसके अध्यक्ष हैं। यह आयोग हर साल अपने कार्यकलापी का प्रतिवेदन भी सरकार और विधानसभा को सौंपता है। अब आप ही बताइए कि क्या आपने कभी इस राज्य मानवाधिकार आयोग की आपत्तियों कहांनी सुनी है, और क्या आप इसी तरह राज्य अल्पसंख्यक आयोग, लोकायुक्त, राज्य महिला आयोग अथवा किसी अन्य आयोग की कड़ी-कड़ाई से परिचित हैं? इस स्थिति का सीधा-सा कारण बस यही है कि राज्य व्यवस्था जग दिखाई के लिए, संस्था-दर-संस्था तो बनाती है, लेकिन उसका संरक्षण वह खुद कभी नहीं करती।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन इस संवेदनहीन दातावरण में समाजोन्मुख होकर जो मानवाधिकारों का जन शिक्षण अभियान चला रहे हैं, हम उसकी तारीफ में आज यही कुछ कहना चाहते हैं कि मानवाधिकार के प्रश्नों को आम जनता और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से प्रचारित-प्रसारित करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य मानवाधिकार आयोग को पहल का ही आज यह परिणाम है कि आयोग ने सैकड़ों सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की प्रदेश में अलख जगा रखी है और यह साबित कर दिया है कि कठिन और जटिल राज्य व्यवस्था के भरोसे न रहकर जनता का मानवाधिकारों के प्रति सशक्तिकरण किया जाए। इसी अभियान के तहत न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन ने अब तक कोई 32 लघु पुस्तिकाएँ जन सहयोग से छपवाकर अधिकतम स्कूल-कॉलेजों में वितरित करवा दी हैं तथा आयोग से एक त्रैमासिक बुलेटिन भी जारी कर रहा है।

अभी हाल में न्यायमूर्ति जैन द्वारा लिखित और संकलित पुस्तक - 'मानवीय मूल्य, कर्तव्य एवं अधिकार' को पढ़कर मुझे यह कहना पड़ता है कि पूरे देश के किसी राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस तरह जन शिक्षक को भूमिका अभी तक नहीं निभाई है। भले ही वर्तमान में इस मानवाधिकार आयोग की रचनात्मक सामाजिक कार्यकर्ताओं की कार्यशीली को शासन व्यवस्था न समझे, लेकिन मानवाधिकारों को लेकर साहित्य का प्रकाशन राजस्थान के लिए एक ऐसा उल्लेखनीय प्रयास है, जो आने वाली युवा पीढ़ी को मानवाधिकारों के लिए जरूर प्रेरित करता रहेगा।

भ्रम जानते हैं कि मानवाधिकार के लिए जारी जन संघर्ष एक निरंतर प्रक्रिया है और किसी समय समाज के निर्माण में मानवाधिकारों का सम्मान होना अनिवार्य है। राजस्थान में अलखा राय का सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अभियान भी इसी तरह जनता के बुनियादी अधिकारों को मजबूत करने का ही अभियान है। हमारा यह पूंजीवादी लोकतंत्र आज इसलिए मानवाधिकारों की अनदेखी करता है, क्योंकि जनता के अधिकारों को मजबूत करने से न्याय, समता और अहिंसा का पक्ष मजबूत बनता है, जबकि, राज्य व्यवस्था प्रायः हिंसा और धमन से चलती है।

राजस्थान क्योंकि आज भी एक सामंतवादी और जातिवादी समाज है- इसलिए यहाँ सच्चा और व्यवस्था का चरित्र भी शोषण और अस्मानता पर ही आधारित है तथा सारा खेल ताकत पर आधारित है। पूरी लोकतांत्रिक युवावी प्रणाली ही यहाँ इस बात की गवाह है कि पुलिस केवल राजनीतिक सत्ता से डरती है तथा मानवाधिकारों को रक्षा के लिए उसके मन में कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रदेश में मानवाधिकारों की पारसंगिकता आज इसलिए भी अधिक है, क्योंकि यहाँ आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और भड़िलाएँ ही सबसे अधिक सामाजिक-आर्थिक उन्नीड़न का शिकार हैं तथा जागरूकता का दमन भी अभाव है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसलिए जनता के लिए और जनता के बीच और जनता के द्वारा मानवाधिकार तथा कर्तव्यों को- शिक्षण के विकल्प के रूप में बताया है और राज्य व्यवस्था को याद दिलाया है कि लोकतंत्र ही हीन के समार हमारे मानवाधिकारों को है।

ACKNOWLEDGEMENT

It gives us great pleasure to express our deep sense of gratitude to all concerned for the encouragement We have completed this project. We are very much thankful to Rajasthan State Human Rights Commission in particular Chairperson, Hon'ble Justice N. K. Jain for giving us a chance to do the internship in this Rajasthan Human Rights Commission.

NIVEDITA DEVAL

B.B.A. L.L.B. (Hons.) 2nd year Rajasthan university Jaipur

Mob-9772201354

E-Mail Id- NIVEDITA DEVAL @GMAIL.COM

Bibliography

YAHOO!
INDIA

Google™

WIKIPEDIA



Child Tracking System

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें



RIGHT to EDUCATION project
promoting mobilisation and legal accountability

www.rshrc.nic.in

unicef 

www.unicef.com



“The destiny of
human rights
is in the hands of all
our citizens in all our communities.”

Eleanor Roosevelt

THANK YOU